कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-17/2018-19/

दिनांक : /06/2018

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,

पिथौरागढ़

जनपद- पिथौरागढ़

विषय: जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ का वर्ष 07/2016 से 12/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में **शून्य** प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में **03** प्रस्तर तथा STAN मे **शून्य** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 17/2018-19/ **दिनांक: /06/2018**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़ सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0 पार्क के पास, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़, जनपद- पिथौरागढ़ ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-17 वर्ष 2018-19</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री पी.एल.शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,** द्वारा दिनांक 26/05/2016 से 04/06/2016 तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **2012-13 से 2014-15** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(i) भौगोलिक क्षेत्र:
(ii) जनसंख्या:
(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या:
(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:
(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:
(vi) कर्मचारियों की संख्या:
(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ:
(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट:
(ix) योजनाओं की संख्या:
(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:
(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:
(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय
(अ) सामान्य :
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | :
(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया:

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	0	5144703	422576	422576	228396574	228275924	0	0	0	5902597
2016-17	0	5902597	544890	544890	275276892	274482215	0	0	0	6697274
2017-18	0	6697274	591294	591294	407848823	403415623	0	0	0	11130474

वर्ष 2015–2016

क्र.सं.	मद / योजना का नाम	प्रारं.अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल योग	व्यय धनराशि	अव.धनराशि
1	रा.वि.आयोग(क्षे.पं.अंश)	0	2,81,39,000=00	2,81,39,000=00	2,81,39,000=00	0
2	रा.वि.आयोग(ग्रा.पं.अंश)	38,87,994=00	5,94,18,000=00	6,33,05,994=00	5,94,18,000=00	38,87,994=00
3	चौदहवाँ वित्त आयोग(ग्रा.पं.अंश)	0	12,92,86,000=00	12,92,86,000=00	12,92,86,000=00	0
4	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	0	62,53,474=00	62,53,474=00	62,53,474=00	0
5	रा.गाँ.पं.स.अ.पं.भ.नि. / मरम्मत	3,50,000=00	21,00,000=00	24,50,000=00	21,50,000=00	3,00,000=00
6	रा.गाँ.पं.स.अ.रि.सें.निर्माण	0	10,00,000=00	10,00,000=00	8,00,000=00	2,00,000=00
7	पंचायत भवन निर्माण	9,06,709=00	0	9,06,709=00	5,33,000=00	3,73,709=00
8	हरेला पुरस्कार	0	4,88,000=00	4,88,000=00	3,60,000=00	1,28,000=00
9	विविध मद	0	4,59,260=00	4,59,260=00	4,59,000=00	260=00
10	जी.पी.डी.पी.प्रशिक्षण	0	12,52,840=00	12,52,840=00	8,77,450=00	3,75,390=00

वर्ष 2016–2017

क्र.सं.	मद / योजना का नाम	प्रारं.अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल योग	व्यय धनराशि	अव.धनराशि
1	रा.वि.आयोग(ग्रा.पं.अंश)	38,87,994=00	6,00,79,000=00	6,39,66,994=00	6,00,79,000=00	38,87,994=00
2	रा.वि.आयोग(क्षे.पं.अंश)	0	2,81,41,000=00	2,81,41,000=00	2,81,41,000=00	0
3	चौदहवाँ वित्त आयोग(ग्रा.पं.अंश)	0	17,89,98,000=00	17,89,98,000=00	17,89,98,000=00	0
4	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	0	62,53,474=00	62,53,474=00	62,53,474=00	0
5	रा.गाँ.पं.स.अ.पं.भ.नि. / मरम्मत	3,00,000=00	0	3,00,000=00	2,00,000=00	1,00,000=00
6	रा.गाँ.पं.स.अ.रि.सें.निर्माण	2,00,000=00	0	2,00,000=00	2,00,000=00	0
7	पंचायत भवन निर्माण	3,73,709=00	0	3,73,709=00	0	3,73,709=00
8	पंचायत भवन अति.कक्ष निर्माण	2,32,454=00	0	2,32,454=00	0	2,32,454=00
9	तेरहवाँ वित्त आयोग(ग्रा.पं.अंश)	4,04,790=00	0	4,04,790=00	0	4,04,790=00
10	हरेला पुरस्कार	1,28,000=00	10,83,000=00	12,11,000=00	0	12,11,000=00
1i	विविध मद	260=00	2,52,260=00	2,52,520=00	1,47,693=00	1,04,827=00
12	जी.पी.डी.पी.प्रशिक्षण	3,75,390=00	87.658=00	4,63,048=00	4,63,048=00	0
13	ग्रामप्रधान आर.टी.आई. प्रशिक्षण	0	3,82,500=00	3,82,500=00	0	3,82,500=00

वर्ष 2017–2018

क्र.सं.	मद / योजना का नाम	प्रारं.अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल योग	व्यय धनराशि	अव.धनराशि
1	तृ.रा.वि.आयोग(ग्रा.पं.अंश)	38,87,994=00	0	38,87,994=00	0	38,87,994=00
2	च.रा.वि.आयोग(ग्रा.पं.अंश)	0	7,88,60,000=00	7,88,60,000=00	7,87,66,000=00	94,000=00
3	रा.वि.आयोग(क्षे.पं.अंश)	0	5,90,00,000=00	5,90,00,000=00	5,90,00,000=00	0
4	चौदहवाँ वित्तआयोग(ग्रा.पं.अंश)	0	26,29,24,000=00	26,29,24,000=00	26,29,24,000=00	0
5	रा.गाँ.पं.स.अ.पं.भ.नि. / मरम्मत	1,00,000=00	8,00,000=00	9,00,000=00	50,000=00	8,50,000=00
6	पंचायत भवन निर्माण	3,73,709=00	7,74,030=00	11,47,739=00	0	11,47,739=00
7	पंचायत भवन अति.कक्ष निर्माण	2,32,454=00	0	2,32,454=00	0	2,32,454=00
8	तेरहवाँ वित्त आयोग(ग्रा.पं.अंश)	4,04,790=00	0	4,04,790=00	0	4,04,790=00
9	हरेला पुरस्कार	12,11,000=00	5,00,000=00	17,11,000=00	7,26,000=00	9,85,000=00
10	विविध मद	1,04,827=00	44,000=00	1,48,827=00	9,196=00	1,39,631=00
11	जी.पी.डी.पी.प्रशिक्षण	0	9,63,750=00	9,63,750=00	2,35,960=00	7,27,790=00
12	ग्रामप्रधान आर.टी.आई.प्रशिक्षण	3,82,500=00	0	3,82,500=00	2,03,672=00	1,78,828=00
13	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण	0	12,97,043=00	12,97,043=00	49,475=00	12,47,568=00 P
14	नकद रहित लेन–देन प्रशिक्षण	0	9,87,000=00	9,87,000=00	2,320=00	9,84,680=00 40
15	जिला योजना	0	14,49,000=00	14,49,000=00	14,49,000=00	0
16	बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ	0	2,50,000=00	2,50,000=00	0	2,50,000=00
GT		6697274	407848823	414540097	403415623	11130474

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1:- वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों के तहत आबंटित धनराशि ` 4007.84 लाख के स्थान पर इकाई से ` 1740.06 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना एवं शेष ` 2267.78 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना।

शासन द्वारा राज्य वित्त के तहत निर्गत धनराशि का उपयोग विकासात्मक कार्यों में, जिसके तहत सी0 सी0 सड़कों का निर्मान, सीवरेज, जलापूर्ति, सामुदायिक परिसंपतियों का रख-रखाव आंगनवाड़ी भवनो का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण,एवं स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया जाना होता है।इसी तरह 14 वां वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों का उपयोग भी कल्याणकारी योजनाओं में किया जाना होता है। शासन के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ज़िला पंचायत राज अधिकारी संबन्धित ज़िला अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराकर शासन को उपलब्ध कराना था । प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही इस कार्यालय द्वारा दूसरी किश्त निर्गत की जानी थी। शासन के आदेशानुसार यदि समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक पंचायती के माध्यम से शासन को प्राप्त नहीं होंगे तो उसका उत्तर दायित्व संबन्धित जनपद के ज़िला पंचायत राज अधिकारी का होगा।

कार्यालय ज़िला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ में उपर्युक्त मदों से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 तक राज्य वित्त एवं 14 वां वित्त के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों को आबंटित धनराशि, कार्यालय स्तर पर दर्शाये गए व्यय तथा वास्तविक व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि ` लाख में)

मद का नाम	**वर्ष**	**विभिन्न इकाइयों को आबंटित धनराशि**	**अभिलेखों के अनुसार व्यय की गई धनराशि**	**वास्तविक/ उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की धनराशि**
राज्य वित्त	2016-17	960.41	960.41	960.41
	2017-18	1378.60	1378.60	425.42
14 वां वित्त	2016-17	1789.98	1789.98	1789.98
	2017-18	2629.24	2629.24	1314.64
कुल योग		**6758.23**	**6758.23**	**4490.45**

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ज़िला पंचायत राज अधिकारी/पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 तक राज्य वित्त आयोग, तथा चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल धनराशि ` 6758.23 लाख विभिन्न इकाइयों को अवमुक्त की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 में ` 4007.84 के आबंटन के सापेक्ष मात्र ` 1740.06 की ही धनराशि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर शासन को प्रेषित किए गए जबकि अवशेष धनराशि ` 2267.78 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुये है।

उपर्युक्त के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2016-17 के उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय व शासन को प्रेषित किये जा चुके है वर्ष 2017-18 में आवंटित प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है अन्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जल्दी निदेशालय को प्रेषित किए जाएंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजनाओं के अंतर्गत शासन द्वारा धनराशि के संक्रमण के साथ यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र के साथ कराये गए कार्यों का पूर्ण विवरण भी प्राप्त किया जाना था इकाई द्वारा न तो कार्यों का विवरण प्राप्त किया गया और न ही ` 2267.78 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त किए है।

अत: प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का 2 प्रतिशत ` 52.58 लाख की धनराशि निदेशालय को प्रेषित न किया जाना।

शासन के पत्र संख्या: 177/XII (1)/ 2017-96 (06) /2015-टी० सी०-आईआई दिनांक 29-05-2017 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अंतर्गत 10 प्रतिशत कंटिजेंसी के उपयोग/ व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के विंदु 10 के अनुसार ज़िला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रेपोर्टिंग, एवं आडिट के कार्यों हेतु स्वीकृत कुल धनराशि का 2 प्रतिशत धनराशि निदेशालय को प्रेषित की जानी है। इसी के तहत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता एवं डाटा ऑपरेटर की तैनाती की जानी है इसका व्यय भी उक्त धनराशि से ही किया जाना है।

कार्यालय ज़िला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ में 14 वें वित्त आयोग से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त मद के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों को ` 262924000 की धनराशि निर्गत की गई थी जिसका 2 प्रतिशत ` 5258480.00 की धनराशि निदेशालय को प्रेषित की जानी थी जिसका उपयोग उपर्युक्त वर्णित कार्यों पर किया जाना था। आगे अभिलेखों मे पाया गया कि ` 5258480.00 की धनराशि मे से `` 4096120.00 की धनराशि विभाग के खाते में अवरुद्ध पड़ी है एवं है अवशेष `` 1162360.00 की धनराशि अभी तक ग्राम पंचायतों प्राप्त नहीं हुई है।

उपर्युक्त के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों से उक्त धनराशि प्राप्त होने के पश्चात जल्दी निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड को को प्रेषित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 4096120.00 की धनराशि विभाग के खाते में अवरुद्ध पड़ी है एवं है अवशेष `1162360.00 की धनराशि अभी तक ग्राम पंचायतों प्राप्त नहीं हुई है जिसकी प्राप्ति हेतु इस कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए है। यदि उक्त धनराशि समय से निदेशालय को प्रेषित की जाती तो धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में होता।

अत: प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 361861.00 धनराशि शासकीय लेखे में जमा न किया जाना।

शासन के निर्देशानुसार जो धनराशि विकासात्मक कार्यों के लिए कार्य करी संस्थाओं को प्राप्त होती है जैसे राज्य वित्त, केन्द्रीय वित्त, क्षेत्र पंचायत विकास निधि, विधायक निधि, सांसद एवं मरेगा औरउक्त निधि के तहत जो धनराशि लम्बे समय से बैंक खातों में पड़ी रहती है एवं जिसमे ब्याज अर्जित होता है, उस ब्याज की धनराशि को अविलंब शासकीय लेखे/ खाते में (0049 ब्याज प्राप्तियाँ) जमा किया जाना चाहिये।

ज़िला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ में विभिन्न मदों से संबन्धित अभिलेखों एवं पासबुकों के अवलोकन में पाया गया कि विभाग को विभिन्न मदों से प्राप्त हुई धनराशि, जो बैंक खातों में लम्बे समय से रहने के कारण, जिसमे ब्याज अर्जित हुआ है जो ` 361861.00 की धनराशि विभाग के खातों में अवरुद्ध पड़ी है जबकि उक्त धनराशि को शासकीय लेखे में जमा कराया जाना चाहिए था।

उपर्युक्त के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि को जल्दी ही चालान द्वारा शासकीय लेखे में जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी उक्त धनराशि विभाग के खातों में अवरूद्ध पड़ी है।

अत: प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षणः भाग 2(ब)	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
23/2016-17	**प्रस्तर 1:-** धनराशि ` 8.00 लाख अवमुक्त किए जाने पर भी पंचायत भवन का कार्य अपूर्ण रहना। **प्रस्तर 2:-** ` 8.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपट न होना। **प्रस्तर 3:-** आवंटित धनराशि से अधिक व्यय।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **सतत् अनियमितताएः**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री गोपाल गिरि	जिला पंचायतराज अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनकालेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी पिथौरागढ़**, **जनपद- पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखंड, पिन कोड 248195** को भेज दें |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय